संख्याः /I/2005-03(1)/14/05

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 21 मई, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–2006 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 527A/XXVII(1)/2005 दिनांक 26.04.2005 एवं शासनादेश संख्या 1758/I/2005-03(1)/14/05 दिनांक 12.04.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–2006 में आयोजनेत्तर पक्ष में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के प्रथम त्रैमास में व्यय हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 12–4–2005, में इंगित धनराशि के अतिरिक्त रु0 24.00 लाख (रू0 चौबीस लाख मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– स्वीकृत धनराशि की फांट निदेशक, उरेडा, देहरादून द्वारा मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिये करने के उपरान्त शासन को अवगत कराया जायेगा और धनराशि का आहरण आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार/हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा। उरेडा मुख्यालय से सम्बन्धित धनराशि का आहरण वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा तैयार बिल पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त किया जायेगा।

3– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एम0 एण्ड डी0 अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

5– वित्तीय वर्ष 2005–06 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो में एरियर भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण की सूचना उरेडा द्वारा अलग से रखी जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7— दूरभाष एवं पी0ओ0एल0 में शासन के मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उक्त सुविधायें(दूरभाष/वाहन) यदि एक स्थान /विभाग से एक हैसियत से प्राप्त हो चुकी है तो उन्हें पुनः विभागीय बजट से अनुमन्य नहीं किया जायेगा। अनुमन्य अधिकारियों को मोबाइल, दूरभाष यदि शासन की स्वीकृति से दिया गया है उसी स्थिति में उसका व्यय विभागीय बजट से वहन किया जायेगा।

8— अगली किश्त तभी स्वीकृत की जायेगी, जब उरेडा द्वारा विगत वर्ष के वास्तविक व्यय का विवरण, पूर्व स्वीकृत एवं अब स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उसकी उपयोग की स्थिति उपलब्ध करा दी जायेगी।

9— स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

10— अप्रैल, 2005 से नई पदों के भरे जाने के फलस्वरुप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह 'क', 'ख', 'ग' व 'घ' में) की सूचना उरेडा द्वारा रखी जायेगी, जिससे वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत श्रेणीवार भरे जाने वाले पदों तथा इसके सापेक्ष होने वाले व्यय की जानकारी प्राप्त हो सके।

11— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—2006 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810—वैकल्पिक ऊर्जा—60—ऊर्जा के अन्य स्त्रोत—आयोजनेत्तर—800—अन्य—03—प्रशासनिक व्यय—01—उरेडा के लिये अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा ।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 346/XXVII(3)/2005, दिनांकः 19 मई, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या 2324 /I/2005-03(1)/14/05] तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3— समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4— समस्त परियोजनाधिकारी, उरेडा।
5— वित्त अनुभाग—3
6— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
7— गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव